तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री अजीत सिंह राठौड़ सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1
श्री एस.के.सेठी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–4
श्री आर.पी.मीणा, उप राजकीय अभिभाषक

<u>दिनांक : 10 जून, 2022</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक के निर्णय दिनांक 02–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण / प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में ग्राम जीवली स्थित विवादित आराजी कुल किता 20 कुल रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि है, जो जमाबंदी संवत 2011 से 2030 से साबित होती है, लेकिन उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 श्री जगन्नाथ दास ने अपने नाम दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 2 को 298000 में विक्रय कर दिया, जिसे दुरूस्त किया जावे। उक्त वाद के नोटिस तामील होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत होने के बावजूद 5 वर्ष तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में पक्षकार एवं उनके अभिभाषक ने उपस्थित होना भी बंद कर दिया, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध दिनांक 02–01–2004 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27–02–2004 को वाद वादीगण डिक्री कर दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक के समक्ष एक अपील प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई, जिस पर विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम विधि विरूद्ध रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– निगरानी पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक का निर्णय दिनांक 02–07–2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये, जैसा कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 01–01–2004 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई, जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण दिनांक 17–10–2003 को बहस करना बता रहे है तो तथ्य रिकार्ड के विपरीत एवं झूंठे थे और इसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या निरस्त होने योग्य था, जिसे बिना गौर किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि श्री हरीनारायण बरवक्त मंदिर मूर्ति को दिये जाने कब्जा स्वयं हाजिर था, जिससे उसे निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व में ही थी एवं चुनाव कार्य के समक्ष भी न्यायालय बंद नहीं था, बल्कि सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे थे। उक्त बाबत भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक तथ्य प्रकट नहीं किये एवं अप्रार्थीगण स्वयं लगातार 7 माह तक लापरवाह रहे। उक्त प्रत्येक दिन की देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाये और न ही अंकित किया गया। ऐसी स्थिति में बिना कारण के अधीनस्थ न्यायालय को मियाद क्षमा करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, अतः निगरानीधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने एआईआर 1998 पेज 2276 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानीधीन निर्णय दिनांक 02–07–2004 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई का निर्णय दिनांक 27–02–2004 उनकी अनुपस्थिति में डिक्री हुआ था, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 29–05–2004 को न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक ने धारा 5, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 02–07–2004 के द्वारा स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर लिया था। उक्त निर्णय विधि सम्मत, तर्क संगत एवं न्याय संगत होने के कारण पोषणीय है। उनका कथन है कि हस्तगत निगरानी में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि मूर्ति मंदिर ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज की ओर से एक वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, प्रथम, टौंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वाद में दिनांक 25–05–1999 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया था, जिस पर परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दे दिया। दिनांक 11–06–1999 को प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, निवाई को पक्षकार बनाने बाबत निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार कर भारतीय स्टेट बैंक, निवाई को प्रतिवादी संख्या–4 संयोजित कर लिया गया। इस प्रकार उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु चलता रहा। दिनांक 27–07–1999 को प्रतिवादीगण ने पोषणीयता का प्रश्न उठाते हुए दावा खारिज करने की प्रार्थना की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 18–08–1999 को प्रतिवादीगण के आक्षेप निरस्त करते हुए दावा पोषणीय माना, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने एक निगरानी संख्या 118/99 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जो दिनांक 07–06–2002 को निरस्त कर दी गई। प्रतिवादीगण ने परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के लिए बार–बार समय और अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया और दिनांक 07–02–2003 को वे न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 8– इस प्रकार यह भलीभांति सिद्ध है कि प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए लगभग 4 वर्ष का समय दिया गया, जिसमें प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा। प्रतिवादीगण के इस वाद में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी अमल में लाई गई, जिसे अपास्त करवाने के लिए उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया। इस प्रकार वाद के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी थी। अतः प्रतिवादीगण का यह कथन कि उन्हें वाद और उसमें होने वाले निर्णय की जानकारी नहीं थी, मान्य नहीं है। 9– अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक ने अपने निर्णय दिनांक 02–07–2004 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम स्वीकार किया है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम क्यों स्वीकार किया गया है ? विलम्ब के कौन से कारण अपील में दर्शाये गये है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने उचित माना और विलम्ब को शमित कर दिया, जबकि निर्णय में इसका कोई हवाला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं है। एक पंक्ति का निर्णय है, जिसमें अंकित किया गया है कि ***"धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।"*** इस प्रकार यह आदेश नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रीजण्ड आदेश की श्रेणी में आता है। जब प्रतिवादीगण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित थे और 4 वर्षों तक उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया, न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, उसे निरस्त कराने का कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया तो उन्हें इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए, जबकि इतने विलम्ब के लिए कोई ठोस कारण भी नहीं दर्शाया गया है। 10– माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का ठोस एवं संतोषजनक कारण दर्शाया जाना चाहिए। तो इस प्रकरण में विलम्ब के दिनों का कोई स्पष्टीकण नहीं दिया गया है और अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक ने अपने नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रीजण्ड आदेश के द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश को विधि सम्मत, तर्क संगत एवं न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिए उक्त निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 12– परिणामस्वरूप, हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टौंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–07–2004 को अपास्त किया जाता है और मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 12639 / टौंक</u>** **मूर्ति मंदिर ठाकुर गोपालजी बनाम हरिनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए